

06.07.22

पत्रावली पेश हुई/अप्राथमिक स्वयं  
उपास्थित। अप्राथमिक द्वारा पेश किए  
गए दस्तावेजों का अवलोकन करने बाद  
यह पाया गया कि अप्राथमिक ने  
दि. 08.03.22 को खसरा सं. 1073,  
1073/1 मुण्डारा तहसील वाली रकबा  
0.84 व 1.628 के आवासीय प्रयोजनार्थ  
संपत्तिकर्तन के लिए आवेदन किया है।  
उक्त आवेदन सध स्थिति में उपखण्ड  
अधिकारी, वाली के स्तर पर प्रक्रियाधीन  
है। इस कारण प्रकरण का मुख्य  
वाद विंदू समाप्त हो जाता है। तथा  
पत्रावली खाली की जाती है।  
पत्रावली खाली फैसल शुमार लोक  
नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
वाली, जिला-पाली (राज.)

नम्बर व तारीख  
इस हुकम की

7/7/22

होमिप्रद  
न्यायालय  
सुप्रीम  
राजस्थान विधि  
राजस्थान